स्मार–पत्र महत्वपूर्ण

पत्रांक–2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/6878/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

आनन्द शर्मा, भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सुन्नी वक्फ बोर्ड,
हज भवन, पटना।
(ई–मेल–bsswboard@gmail.com)

पटना, दिनांक: 02/6/2025

विषय :– पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–4953 दिनांक–07.04.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के संबंध में अनुरोध किया गया है, परन्तु सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार, पटना के द्वारा प्रस्तावित भूमि के लिए अनापत्ति/सहमति अबतक अप्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

ज्ञातव्य हो कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–04.02.2025 को पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से संबंधित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2459 दिनांक–11.02.2025 के कंडिका 2 I (g) के माध्यम से निदेशित किया गया है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अन्तर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के मामले में जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भूमि हस्तांतरण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए विभाग स्तर से हस्तांतरण की कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदित करेंगे ताकि संबंधित विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय स्थापित कर विभागीय भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

अंतर्विभागीय हस्तांतरण हेतु सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार, पटना से संबंधित प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र० सं०	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	किस्म	जिला पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक	विभागीय पत्रांक
43	कटिहार	बारसोई	सुधानी	मालौर	130	727	0.50 एकड़		545/10.03.2025	4953/07.04.2025

अतः अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के बिन्दु पर यथाशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(आनन्द शर्मा) 30/05
निदेशक

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/6878 पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/2025
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/6878 पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/2025
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/6878 पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/2025
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/6878 पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/2025
प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा) 30/05
निदेशक

अत्यावश्यक
ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक–2प / पं०स०भ० / 09–16 / 2024 / 4953 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

आनन्द शर्मा, भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सुन्नी वक्फ बोर्ड,
हज भवन, पटना।

पटना, दिनांक: 07 / 4 / 2025

विषय :– पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति / सहमति देने के संबंध में।

प्रसंग :– जिला पदाधिकारी, कटिहार का पत्रांक–545 दिनाक–10.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति / सहमति देने के संबंध में अनुरोध किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०सं०	जिला	प्रखंड	पंचायत	मौजा	खाता सं०	खेसरा सं०	प्रस्तावित रकबा	जिला पदाधिकारी का पत्रांक / दिनांक
1.	बारसोई	सुधानी	मालौर	मालौर	130	727	0.50 एकड़	545 / 10.03.2025

ज्ञातव्य हो कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–281 दिनांक–08.01.2024 की कंडिका–(ii) में उल्लेखित है कि "यदि गैरमजरूआ आम या गैरमजरूआ खास जमीन उपलब्ध न हो तो अन्य सरकारी विभागों की उन पंचायतों में उपलब्ध भूमि को चिह्नित कर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाए।"

उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–359(6) / रा० दिनांक–19.05.2014 तथा पत्रांक–82(6) / रा० दिनांक–23.01.2015 में प्रावधानित है कि राज्य सरकार के विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 03 एकड़ तक सरकारी / गैरमजरूआ आम भूमि अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण के पूर्व भू–स्वामित्व रखने वाले विभाग (सरकारी विभाग) से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त समाहर्त्ता स्तर से निःशुल्क हस्तांतरण किया जा सकेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–04.02.2025 को पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से संबंधित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2459 दिनांक–11.02.2025 के कंडिका 2 I (g) के माध्यम से निदेशित किया गया है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अन्तर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के मामले में जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भूमि हस्तांतरण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए

विभाग स्तर से हस्तांतरण की कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदित करेंगे ताकि संबंधित विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय स्थापित कर विभागीय भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

अतएव प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के बिन्दु पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024 /4953 पं०रा० **पटना, दिनांक** 07/4/2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024 /4953 पं०रा० **पटना, दिनांक** 07/4/2025

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024 /4953 पं०रा० **पटना, दिनांक** 07/4/2025

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–16/2024 /4953 पं०रा० **पटना, दिनांक** 07/4/2025

प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा) 03/04
निदेशक

दिनांक–04.02.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से संबंधित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. **उपस्थिति :–**

   1. श्री दिवेश सेहरा, सचिव,
   2. श्री आनन्द शर्मा, निदेशक
   3. सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी

2. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

   I. **पंचायत सरकार भवन की समीक्षा** :–सघन अनुश्रवण कर काम में तेजी लाते हुए सभी पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पंचायत सरकार भवन निर्माण पूर्ण करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी सतत् सूक्ष्म रूप से समीक्षा करेंगें।

   (a) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति को तेज करने पर बल दिया।
   पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारंभ कराते हुए एवं सघन अनुश्रवण कर कार्य में तीव्रता लाते हुए जून, 2025 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।
   (अनुपालनः–सभी जिला पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग)

   (b) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति पर चिंता प्रकट करते हुए निदेशित किया गया कि मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन इसकी साप्ताहिक समीक्षा करेंगे एवं जहाँ निविदा प्रकाशित नहीं किया गया है वहाँ अविलंब एक सप्ताह के अंदर निविदा प्रकाशित करेंगे तथा निविदा प्रकाशन के बाद शीघ्र ही संवेदक का चयन कर एकरारनामा करते हुए जून, 2025 तक निश्चित रूप से पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
   (अनुपालनः–मुख्य अभियंत्रण, कार्यपालक अभियंत्रण सभी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण)

लगातार............

(c) भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग इसकी साप्ताहिक समीक्षा करेंगे एवं जहाँ निविदा प्रकाशित नहीं किया गया है वहाँ अविलंब एक सप्ताह के अंदर निविदा प्रकाशित करेंगे तथा निविदा प्रकाशन के बाद शीघ्र ही संवेदक का चयन कर एकरारनामा करते हुए जून, 2025 तक निश्चित रूप से पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः—सभी जिला पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग)

(d) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी 580 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी 15 फरवरी, 2025 तक निश्चित रूप से सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः— सभी जिला पदाधिकारी)

(e) जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा कोशी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि इस तरह नदी के basin के जितने भी मामले अन्य जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है, वहां निर्माण कार्य स्थगित रखा जाय, क्योंकि बांध के बीच स्थाई निर्माण करना संभव नहीं है।

(अनुपालनः— सभी जिला पदाधिकारी)

(f) कोशी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अन्य Suitable design के लिए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अभियंता एवं Architect को निदेशित किया जाय।

(अनुपालनः— सभी जिला पदाधिकारी)

(g) पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के मामले में जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भूमि हस्तांतरण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराते हुए विभाग स्तर से हस्तांतरण की कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदित करेंगे ताकि संबंधित विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय स्थापित कर विभागीय हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालनः— सभी जिला पदाधिकारी)

II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना :-

(a) निदेश दिया गया कि प्रथम एवं द्वितीय फेज में एजेंसियों के आवंटित किये गये कार्यों के विरूद्ध अधिष्ठापन नहीं किये जाने की समीक्षा जिला पदाधिकारी अपने स्तर से करते हुए जिस एजेंसी के द्वारा एकरारनामा की शर्तों के अनुसार सोलर लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही कुछ एजेंसियों के द्वारा कार्य किये जाने के उपरांत भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी समीक्षोपरांत कार्य के अनुरूप एजेंसी का नियमानुसार शीघ्रता से भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः—सभी जिला पदाधिकारी एवं निदेशक, ब्रेडा)

(b) मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाके तृतीय फेज में कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन कर उसकी सूची जिला को उपलब्ध करा दिया गया है।

निदेश दिया गया कि निदेशक, ब्रेडा अपने स्तर से सघन अनुश्रवण कर Dispatch Instruction संबंधित एजेंसियों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी बचे हुए एजेंसियों से निर्धारित समय—सीमा के अन्दर PBG जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः—सभी जिला पदाधिकारी एवं निदेशक, ब्रेडा)

(c) CMS पोर्टल को शत—प्रतिशत चालू करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— निदेशक, ब्रेडा)

iii. 15वीं वित्त आयोग :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से जिला परिषद् के द्वारा मात्र 19.67%, पंचायत समिति के द्वारा 48.53% एवं ग्राम पंचायत के द्वारा 57.30% व्यय हुआ है, जो चिंतनीय है, जिसमें शतप्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार............

iv. **षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से जिला परिषद् द्वारा प्राप्त राशि का मात्र 8.01%, पंचायत समिति को प्राप्त राशि का मात्र 16.04% एवं ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि का मात्र 18.26% अभी तक व्यय किया गया है, जो चिंतनीय है, जिसमें शत–प्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया।

बैठक में निदेश दिया गया कि सभी जिला परिष्द, सभी पंचायत समिति एवं सभी ग्राम पंचायत को 15वीं एवं षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध राशि के आलोक में 100% प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे एवं कार्यों में सामान्यतः 2 Step भुगतान करें ताकि ongoing कार्यो का Verification हो सके एवं पारदर्शिता आ सके।

(अनुपालनः–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/2459/पं०रा० **पटना, दिनांक 11/2/2025**

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार/सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/2459/पं०रा० **पटना, दिनांक 11/2/2025**

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/2459/पं०रा० **पटना, दिनांक 11/2/2025**

प्रतिलिपिः–श्रीमती रंजना कुमारी, आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आनन्द शर्मा) 11/02/25
निदेशक